

(5)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (मु0)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
आगरा।

पत्रांक:- 73

दिनांक:- 10/10/2023

सेवा मे,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।

विषय:- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक/शि0स0/सी0बी0एस0ई0/4195-96/2023-24 दिनांक-
29.09.2023

महोदय,

उपरोक्त दिनांक संदर्भित पत्र के अनुपालन में दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0वि0,जाजऊ, फतेहपुर सीकरी,तहसील किरावली,आगरा का नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुरक्षा प्राविधानों से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- प्रमाण पत्र


सहायक अभियन्ता

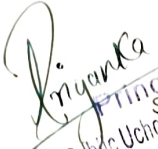
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

प्रखण्ड-आगरा

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रबन्धक, दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0वि0,जाजऊ, फतेहपुर सीकरी,तहसील किरावली,आगरा को जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा के पत्र 4195-96दिनांक 29.09.2023के कम में सूचनार्थ प्रेषित।


Manager
Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-आगरा
Scanned with CamScanner
Deedar Singh Public Uchchatar Vidyalay
Jajau, Agra

कार्यालय सहायक अभियन्ता (मु0) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आगरा।

पत्रांक 73 / ग्रा0अ0वि0 / N.B.C. / प्र0वि0एवजू0नि0 / 2023-24 दिनांक:- 10/10/2023

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0वि0, जाजऊ, फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.10.2023 को किया गया है। विद्यालय का भवन का विस्तारित माप नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा के अनुरूप है। विद्यालय सभी दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत है।

भवन (भूतल-प्रथम-वित्तीय तल) हेतु चैकलिस्ट

क्र0 सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिली है / दो मंजिली है अथवा तीन मंजिली है।	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर है।	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है।	हाँ
4	क्या भवन में ओरिएंटेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है।	हाँ
6	क्या भवन की छत आर0सी0 से बनी है।	हाँ
7	क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है।	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है।	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें / छत ठीक है।	हाँ
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठन्डे क्षेत्रों में 3.0 मीटर है।)	हाँ
11	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (गॉडण्डी गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है।	हाँ
12	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है। खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हाँ

Manager
Deedar Singh Public U.M. Vidyalaya
Jajau, Agra

Principal
Deedar Singh Public U.M. Vidyalaya
Jajau, Agra

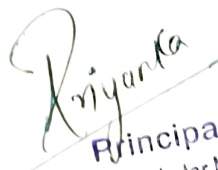
Principal
Deedar Singh Public U.M. Vidyalaya
Jajau, Agra

- | | | |
|----|--|-----|
| 13 | क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं। | हाँ |
| 14 | क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मीटर एवं ऊँचाई 2.0 मीटर) है। | हाँ |
| 15 | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है। | हाँ |
| 16 | क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है। | हाँ |
| 17 | क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है। | हाँ |
| 18 | क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं। | हाँ |
| 19 | क्या भवन में विद्युत की लो.वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मीटर तथा होरिजेंटल दूरी 1.2 मी० है। | हाँ |
| 20 | क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मीटर है एवं होरिजेंटल दूरी 2.0 मी० है। | हाँ |
| 21 | क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, रिक्ल एवं अन्य इन्फ्रिमेंट आई०एस०आई०मार्क सामग्री बदले गये हैं। | हाँ |

प्रमाणित किया जाता है कि दीदार सिंह पब्लिक उ०मा०वि०, जाजऊ, फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, आगरा प्रा०/ऊ०प्रा०वि०/इंटर कॉलेज, जनपद आगरा भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिंदुओं के अधीन निर्मित है।


 सहायक अमियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 प्रखण्ड-आगरा


 Manager
 Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
 Jajau, Agra


 Principal
 Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya
 Jajau, Agra